संख्या-18/2022/542/तेइस-7-2022

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(व्यवस्थापन-ग वर्ग),
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 04 अगस्त, 2022

विषय:- श्रीमती प्रेमलता गुप्ता पत्नी स्व0 श्री बृजमोहन गुप्ता, सेवानिवृत्त वर्क एजेण्ट, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उरई की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1311व्यग/06व्यग(01)/2022, दिनांक 27-06-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011, सहपठित प्रथम संशोधन नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्रीमती प्रेमलता गुप्ता पत्नी स्व0 श्री बृजमोहन गुप्ता, सेवानिवृत्त वर्क एजेण्ट, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उरई का उपचार सीएचएस एप्पल मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल, ग्वालियर में दिनांक 07.05.2021 से दिनांक 01.06.2021 तक की अवधि में रहकर करायी गयी चिकित्सा पर दावा की गयी व्यय धनराशि रू0 7,40,461.00/- (रूपये सात लाख चालीस हजार चार सौ इकसठ मात्र) के सापेक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी, जालौन स्थान उरई द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 6,53,621/-(रूपये छः लाख तिरपन हजार छः सौ इक्कीस मात्र) की प्रतिपूर्ति श्रीमती प्रेमलता गुप्ता पत्नी स्व0 श्री बृजमोहन गुप्ता, सेवानिवृत्त वर्क एजेण्ट को किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। प्रश्नगत धनराशि का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त दावें से संबंधित बिलों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है।

3- उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक हित लाभ-01-सिविल-800-अन्य-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अखिल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भारतीय सेवाओं के अधिकारी व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-अन्य व्यय " मद के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त चिकित्सा दावा/इलाज से संबंधित समस्त बिल बाउचर व अन्य संगत अभिलेख मूलरूप में संलग्नकर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-18/2022/542(1)/तेइस–7–2022-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी,बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जालौन स्थान उरई ।
5- मुख्य अभियन्ता(मु0-2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, झाँसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, झाँसी।
7- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उरई।
8- श्रीमती प्रेमलता गुप्ता पत्नी स्व0 श्री बृजमोहन गुप्ता, सेवानिवृत्त वर्क एजेण्ट, मुहल्ला बम्मलनगर, उरई ।
9- गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।